रिपोर्ट का सारांश

नई शिक्षा नीति के विकास से संबंधित कमिटी की रिपोर्ट

- नई शिक्षा नीति (एनईपी) के विकास पर गठित कमिटी (चेयर : टी.एस.आर.सुब्रहमण्यम) ने 7 मई, 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के अंतर्गत इस कमिटी का गठन अक्टूबर, 2015 में किया गया था। यह रिपोर्ट मौजूदा शिक्षा प्रणाली की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव रखती है। प्रस्तावित नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :
- **एनईपी के व्यापक उद्देश्य** : प्रस्तावित नीति, नीतिगत कार्यान्वयन के अंतरालों को दूर करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने का प्रयास करती है।
- **बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई)** : कमिटी ने पाया कि राज्यों में ईसीसीई को असंगत तरीके से लागू किया जाता है। कमिटी ने सभी स्कूलों में प्री-प्राइमरी शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। इसलिए कमिटी ने सुझाव दिया कि चार से पांच वर्ष के बच्चों के लिए ईसीसीई को एक अधिकार के रूप में घोषित किया जाए। इससे निजी क्षेत्र की बजाय सरकार के लिए छह वर्ष से नीचे के बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करना सहज होगा।
- **शिक्षा का अधिकार (आरटीई) एक्ट, 2009** : वर्तमान में स्कूलों की संरचना और गुणवत्ता से संबंधित नियम केवल निजी स्कूलों के लिए निर्धारित किए गए हैं। कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकारी और निजी, दोनों प्रकार के स्कूलों को मान्यता प्रदान करने से संबंधित एक समान नियम बनाने हेतु आरटीई को संशोधित किया जाना चाहिए।
- कमिटी ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के एक समान पाठ्यक्रम के प्रावधान को अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू करने का सुझाव दिया। वर्तमान में इन संस्थानों को इस प्रावधान से छूट मिली हुई है।
- **स्कूली परीक्षा में सुधार** : कमिटी ने परंपरागत मार्किंग स्कीम की बजाय स्केल्ड स्कोर और पर्सेंटाइल के प्रयोग का सुझाव दिया। कमिटी ने सुझाव दिया कि 10 वीं कक्षा के विद्यार्थियों को गणित और विज्ञान की परीक्षाओं में कठिनाई के स्तर (डिफिकल्टी लेवल) को चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के तनाव को कम करने के लिए कमिटी ने वर्ष के अंत में परीक्षा लेने की बजाय ऑनलाइन ऑन डिमांड बोर्ड परीक्षाओं को प्रस्तावित किया।
- इसके अतिरिक्त कमिटी ने सुझाव दिया कि फेल न करने (नो डिटेंशन) की नीति केवल पांचवीं कक्षा (11 वर्ष) तक लागू होनी चाहिए। यह मौजूदा नीति से उलट होगा जिसके तहत अभी आठवीं कक्षा (14 वर्ष) तक के बच्चों को फेल न करने का प्रावधान है।
- **शिक्षकों का प्रबंधन :** कमिटी ने पाया कि शिक्षकों की कमी, अनुपस्थितियां और शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं। कमिटी ने एक स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्ड के गठन का सुझाव दिया। उसने यह सुझाव भी दिया कि शिक्षण लाइसेंस हर 10 वर्ष के बाद रीन्यू करने जरूरी होंगे। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए चार वर्षीय एकीकृत बीएड कोर्स शुरू किया जाना चाहिए।
- **शिक्षा में आईसीटी :** कमिटी ने पाया कि स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन के बावजूद इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) और शिक्षा क्षेत्र के बीच पर्याप्त तालमेल नहीं है। कमिटी ने सुझाव दिया कि शिक्षकों के प्रशिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, रेमीडीयल एजुकेशन (विकासपरक शिक्षा), साथ ही उच्च शिक्षा के लिए आईटी को शिक्षण टूल के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें ऑनलाइन दक्षता आधारित कोर्सों को विकसित करना भी शामिल होगा।
- **व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण** : कमिटी ने सुझाव दिया कि मौजूदा राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे को व्यापक बनाया

निवेदिता राव
nivedita@prsindia.org

31 अगस्त, 2016

जाना चाहिए जिससे अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। उसने यह सुझाव भी दिया कि स्थानीय अवसरों और संसाधनों के अनुरूप व्यावसायिक कोर्सों के विकल्प को व्यापक बनाने के लिए उनमें संशोधन किया जाए। कमिटी ने इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न शिक्षा बोर्डों द्वारा परंपरागत शिक्षा के समान व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी औपचारिक सर्टिफिकेशन दिया जाना चाहिए।

- **अन्य संस्थागत सुझाव** :

(i) **अखिल भारतीय शिक्षा सेवा (आईईएस)**: इसे एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया जाएगा।

(ii) **राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संवर्धन और प्रबंधन एक्ट (एनएचईपीएमए)** : एनएचईपीएमए उच्च शिक्षा में वैयक्तिक रेगुलेटरों को नियंत्रित करने वाले पृथक कानूनों का स्थान लेगा और यूजीसी एवं एआईसीटीई जैसी मौजूदा रेगुलटरी संस्थाओं की भूमिका को पुनर्पारिभाषित करेगा, और

(iii) राष्ट्रीय एक्रेडिटेशन बोर्ड (एनएबी) : एनएबी में राष्ट्रीय एसेसमेंट और एक्रेडिटेशन परिषद और राष्ट्रीय एक्रेडिटेशन बोर्ड जैसी मौजूदा एक्रेडिटेशन संस्थाएं समाहित हो जाएंगी और यह बोर्ड एक्रेडिटेशन के मानकों को निर्धारित करेगा। कमिटी ने टेक्नीकल और मेडिकल संस्थानों के लिए अनिवार्य एक्रेडिटेशन का भी सुझाव दिया है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च "पीआरएस") की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।